क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नामः Human Resources

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): A.8.1.7.8

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): Staff for Training Institutes /SIHFW /Nursing Training

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य में नर्सिंग कार्यक्रम को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से नर्सिंग स्कूलों हेतु अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों में Data Entry Operator cum Trainer- 1 (एक) तथा Multipurpose Helper Female (4th Grade Staff)- 4 (चार), प्रमंडलीय स्तर पर Nursing Cosultant- 6 (छः) तथा स्टेट नोडल सेंटर में Nursing Tutor- 2 और Programme Coordinator- 1 का प्रावधान किया गया है। आवंटित राशि उक्त कर्मियों के वेतनमान के भुगतान हेतु प्रदान की जा रही है। राज्य के 20 जिलों में कुल 21 सरकारी ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल तथा 6 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कुल 6 सरकारी जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल स्थापित हैं। इस प्रकार राज्य में कुल 27 ए.एन.एम. तथा जी.एन.एम. स्कूल पूर्व से स्थापित हैं, जिसकी सूची निम्नवत है–

Sl. No.	List of all Govt. ANM & GNM Schools
1	ANM School, Sadar Hospital Campus, Begusarai
2	ANM School, Sadar Hospital Campus, Bhagalpur
3	ANM School, Sadar Hospital Campus, Bhojpur
4	ANM School, Sadar Hospital Campus, Motihari
5	ANM School, Prabhawati Janana Hospital Gaya
6	ANM School, Sadar Hospital Campus, Hathua (Gopalganj)
7	ANM School, Sadar Hospital Campus, Katihar
8	ANM School, Sadar Hospital Campus, Kishanganj
9	ANM School, Sadar Hospital Campus, Madhubani
10	ANM School, Sadar Hospital Campus, Munger
11	ANM School, Sadar Hospital Campus, Muzaffarpur
12	ANM School, Sadar Hospital Campus, Biharsharif
13	ANM School, Sadar Hospital Campus, Barh
14	LHV School, Guru Govind Singh Hospital, Patna City
15	ANM School, Sadar Hospital Campus, Purnia
16	ANM School, Sadar Hospital Campus, Saharsa
17	ANM School, Sadar Hospital Campus, Samastipur
18	ANM School, Sadar Hospital Campus,Saran (Chhapra)
19	ANM School, Sadar Hospital Campus, Sitamarhi
20	ANM School, Sadar Hospital Campus, Vaishali (Hazipur)
21	ANM School, Sadar Hospital Campus, Betia (W. Champaran)
22	GNM School, JLNMCH Bhagalpur
23	GNM School, DMCH Darbhanga
24	GNM School, ANMMCH Gaya
25	GNM School, SKMCH Muzaffarpur
26	GNM School, NMCH Patna
27	GNM School, PMCH Patna

इकाई राशि (रू० में) :

- रू० 1,62,000/– प्रति ए.एन.एम. एवं जी.एन.एम. स्कूल।
- रू० 1,80,000/– प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, भागलपुर, दरभंगा, कोशी, पटना, पूर्णिया एवं तिरहुत।
- रू० 9,00,000/– इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना।

13/7/13

Pathak

वित्तीय दिशा निर्देश :

- प्रत्येक ए.एन.एम./जी.एन.एम. स्कूल के लिए Trainer cum Data Entry Operator की नियुक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा किया जा रहा है तथा वेतन भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से किया जाना है। इनके वेतन भुगतान हेतु रू०- 11,000/- प्रतिमाह की दर से कुल रू०- 66,000/- की राशि अगले छः माह के लिए आवंटित की जा रही है।
- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक- 5211, दिनांक- 01.07.2013 के आलोक में चार Multipurpose Helper Female की नियुक्ति प्रत्येक ए.एन.एम. एवं जी.एन.एम. स्कूल में की जानी है।
- ROP 2013-14 में प्रत्येक ए.एन.एम./जी.एन.एम. स्कूल में 2 Multipurpose Helper Female की स्वीकृति प्राप्त है। इसलिए तत्काल प्रति स्कूल 2 Multipurpose Helper Female के वेतन भुगतान हेतु राशि आवंटित की जा रही है।
- शेष दो के लिए Supplementary PIP 2013-14 में प्रस्ताव भेजा गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर अन्य Multipurpose Helper Female के वेतन भुगतान हेतु राशि आवंटित की जाएगी।
- 2 Multipurpose Helper Female प्रति स्कूल का वेतन अगले छः माह के लिए रू०- 8,000/- प्रतिमाह प्रति कर्मी की दर से कुल रू०- 96,000/- की राशि संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को आवंटित की जा रही है।
- प्रमंडलीय स्तर पर 6 Nursing Cosultant की नियुक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा की जानी है तथा वेतन भुगतान प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई से किया जाना है। इनके वेतन भुगतान हेतु रू०- 30,000/- प्रतिमाह की दर से कुल रू०- 1,80,000/- की राशि छः माह के लिए आवंटित की जा रही है।
    - राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सभी स्कूलों में कई आवश्यक कार्य किए जाने हैं। इन सभी कार्यों की देखरेख करने, नर्सिंग स्कूलों क़ी प्राचार्या को आवश्यक सुझाव एवं सहयोग देने हेतु प्रमंडलीय स्तर पर Nursing Cosultant का प्रावधान किया गया है। अतः Nursing Cosultant के द्वारा ToR के अनुरूप सभी कार्य किए जाने है। इसके अतिरिक्त राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (नर्सिंग) द्वारा निदेशित कार्य करना अनिवार्य है।
    - सभी Nursing Cosultant अपने संबंधित प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे और माह के अंत में पूरे माह के कार्य का ब्यौरा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (नर्सिंग), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समर्पित करेंगे।
    - Nursing Cosultant के कार्यक्षेत्र में कौन-से जिले/स्कूल होंगे, उसकी सूची इनकी नियुक्ति के उपरान्त संबंधित प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को उपलब्ध करा दी जाएगी। ToR भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके अनुरूप इनसे कार्य लिया जाना है।
- स्टेट नाडल सेंटर में पूर्व से पदस्थापित Nursing Tutor के वेतन भुगतान हेतु रू०- 60,000/- प्रतिमाह की दर से कुल रू०- 3,60,000/- की राशि अगले छः माह के लिए आवंटित की जा रही है।
- स्टेट नाडल सेंटर में पूर्व से पदस्थापित Programme Coordinator के वेतन भुगतान हेतु रू०- 30,000/- प्रतिमाह की दर से कुल रू०- 1,80,000/- की राशि अगले छः माह के लिए आवंटित की जा रही है।
- स्टेट नाडल सेंटर में 2 Nursing Tutor का प्रावधान किया गया है। अतः वहां पूर्व से पदस्थापित Nursing Tutor के अलावे भीघ्र हीं एक और Nursing Tutor की पदस्थापना किया जाना अनिवार्य है। नए पदस्थापित किए जाने वाले Nursing Tutor के वेतन भुगतान हेतु रू०- 60,000/- प्रतिमाह की दर से कुल रू०- 3,60,000/- की राशि छः माह के लिए आवंटित की जा रही है।

13/7/13

Pathak

- ए.एन.एम. स्कूल हेतु दी जानेवाली राशि संबंधित जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई है तथा जी.एन.एम. स्कूल हेतु दी जानेवाली राशि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को आवंटित की गई है।
- प्रमंडल स्तर पर नियुक्त किये जानेवाले Nursing Cosultant के वेतन भुगतान हेतु राशि संबंधित प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को आवंटित की गई है।
- स्टेट नाडल सेंटर को दी जा रही राशि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को आवंटित की गई है।
- जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा (SOE) असैनिक शल्य चिकित्सक सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति प्रत्येक तीन माह पर राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा (SOE) संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक तीन माह पर राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा (SOE) अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल प्रत्येक तीन माह पर राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा (SOE) निदेशक, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना प्रत्येक तीन माह पर राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का खर्च सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करते हुये बिहार सरकार की वित्तीय नियमावली 2005 के आलोक में की जाएगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : डॉ० वाई० एन० पाठक,
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (नर्सिंग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : 9470003829

13/7/13 YPathak